साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 11, अंक : 5 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 3 सितंबर 2025 से 9 सितंबर 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

हिमाचल में वन अधिकार अधिनियम के लिए लामबंद हुए 20 से अधिक संगठन

शिमला। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के 20 से अधिक सामुदायिक संगठन और ग्राम सभाओं ने हाल ही में आए उच्च न्यायालय के बेदखली आदेशों के संदर्भ में राज्य सरकार और जनजातीय विकास विभाग से अपील की है कि वे वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करें और वन आश्रितों की रक्षा के लिए तत्काल और जवाबदेह कदम उठाएं।

संगठनों द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विकास), जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव और राज्य मुख्य सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि एफआरए एक केंद्रीय संवैधानिक कानून है, जो राज्य कानूनों पर प्राथमिकता रखता है। किन्नौर जिला वन अधिकार संघर्ष समिति के जिया लाल नेगी ने चेतावनी दी कि यदि कानून की सुरक्षा के बावजूद दावेदारों को बेदखल किया गया तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और उसकी

नोडल एजेंसी की होगी। ज्ञापन में उल्लेख है कि एफआरए की धारा 4(5) स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक दावों का पूर्ण सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक किसी भी दावेदार को बेदखल नहीं किया जा सकता। संगठनों ने यह भी याद दिलाया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की आधिकारिक गाइडलाइन में भी यह प्रावधान है। हिमालय नीति अभियान के गुमान सिंह ने कहा, कानून साफ है, सरकार को एफआरए की प्राथमिकता को अदालत में मजबूती से रखना चाहिए। अगर वह असफल रही, तो हजारों लोगों की बेदखली की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। हिमधरा पर्यावरण समूह के प्रकाश भंडारी ने जोड़ा कि यह जवाबदेही केवल नैतिक नहीं बल्कि कानूनी भी है। अदालत में एफआरए का बचाव — उच्च न्यायालय और आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय में बेदखली मामलों में एफआरए की प्राथमिकता स्थापित की जाए। बेदखली से सुरक्षा — सभी दावेदारों को तब तक बेदखली से बचाया जाए जब तक उनके दावे निपट नहीं जाते। तेज क्रियान्वयन — सभी विभागों को बाध्यकारी निर्देश जारी किए जाएं कि वे एफआरए को उसकी सही भावना में लागू करें। लाहौल वन अधिकार मंच के जगदीश कटोच ने कहा, सरकार कह रही है कि स्नक्र का क्रियान्वयन 'फुल स्विंग' में है, लेकिन जमीन पर दावेदार बेदखली के खतरे में हैं। जवाबदेही का असली मतलब है कि सरकार कमजोर समुदायों के अधिकारों की रक्षा करे। ज्ञापन को हिमलोक जाग्रति मंच, स्पीति सिविल सोसाइटी, सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी और कई अन्य संगठनों का समर्थन मिला है।

अरूणाचल- बिना अनुमति सड़क निर्माण ?

पर्यावरण मंत्रालय ने कहा- नहीं दी मंजूरी

अरुणाचल मंत्रालय ने यह जानकारी 29 अगस्त 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में दी है। हलफनामे में कहा गया है कि मंत्रालय को गंगा से ताइपू या गंगा से टागो तक सड़क निर्माण के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 की 'कैटेगरी ए' के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जैसा कि 22 अप्रैल 2025 को अरुणाचल टाइम्स में प्रकाशित खबर में बताया गया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पर्यावरण मंजूरी के बिना किया गया कोई भी निर्माण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही, जमीनी स्तर पर पर्यावरण के सुरक्षा संबंधी उपायों का पालन कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। यह मामला गंगा-ताइपू और गंगा-टागो के बीच पर्यावरण संवेदनशील इलाकों में कथित तौर पर अवैध सड़क निर्माण से जुड़ा है। अरुणाचल टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक गांव वालों की बार-बार शिकायतों के बावजूद, भारी मशीनों से अवैध जमीन कटाई और निर्माण कार्य जारी है, जिससे जंगल की जमीन को नुकसान पहुंच रहा है, पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और साथ ही स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। खबर में यह भी आरोप लगाया गया है कि स्थानीय रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही, ग्राम वन समिति ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंप कर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अब जब मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कोई मंजूरी नहीं दी गई, तो ऐसे में यह मामला और गंभीर हो गया है। क्या स्थानीय प्रशासन इस पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई करेगा, यह देखना बाकी है। वहीं, एनजीटी इस मुद्दे पर आगे क्या रुख अपनाता है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं।

हिंदी भाषी मप्र से, देश भर में गुंजायमान होगा भाषाई एकात्मता का संदेश–उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार

प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में सिखाई जाएगी भारतीय भाषा- मंत्री श्री परमार

उच्च शिक्षा मंत्री ने मंत्रालय में समस्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की समीक्षा की

भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक हुई। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि देश के हृदय प्रदेश की संज्ञा से सुशोभित हिंदी भाषी मध्यप्रदेश, भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति को चरितार्थ करते हुए एक नई पहल करने जा रहा है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में देश की सभी प्रमुख भाषाओं को सिखाने के लिए कोर्स कराए जाएंगे ताकि प्रदेश का युवा देश के किसी भी राज्य या क्षेत्र में जाए तो वहां के निवासियों से सहजता से संवाद कर सकें और एकरूप हो सकें। श्री परमार ने कहा कि हम इस नवाचार के माध्यम से सभी भाषाओं के प्रति अपना प्रेम संदेश भी प्रेषित करना चाहते हैं। श्री परमार ने कहा कि भारत अलग-अलग भाषाओं और बोलियों का देश है लेकिन इसकी आत्मा एक है। हमारा यह नवाचार, देश भर में भाषाई एकात्मता का संदेश देगा।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 17 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में, देश की विभिन्न भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किए जाने को लेकर व्यापक कार्ययोजना के साथ क्रियान्वयन करें। श्री परमार ने कहा कि समस्त विश्वविद्यालयों को भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए, भाषाएं आबंटित की गई हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय आवंटित भाषाओं को सिखाने के लिए कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करेंगे। इससे प्रदेश के विश्वविद्यालयों से, पूरे देश में भाषाई सौहार्दता का संदेश जाएगा। भाषाएं जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं; यह व्यापक संदेश प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों से देश भर में गुंजायमान होगा। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश की उच्च शिक्षा को लेकर धारणाओं मे परिवर्तन आना चाहिए, इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए निरंतर क्रियाशील रहना होगा। श्री परमार ने समस्त विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों में भर्ती की प्रक्रिया, रोस्टर के पालन के साथ नियमानुरूप शीघ्र करने के निर्देश दिए। श्री परमार ने कहा कि विश्वविद्यालय को इकाई मानकर, रोस्टर का निर्धारण कर पदपूर्ति की प्रकिया पूर्ण करें और पदपूर्ति के लिए सभी विश्वविद्यालय शीघ्र विज्ञापन जारी करें। श्री परमार ने नकल पर नकेल कसने के लिए, उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन एवं डिजिटल सिक्योरिटी पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री परमार ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय परीक्षा एवं मूल्यांकन की पारदर्शिता के लिए डिजिटल मूल्यांकन को बढ़ावा दें और मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को अपने पोर्टल पर सार्वजनिक उपलब्ध कराए ताकि इससे अन्य विद्यार्थी प्रोत्साहित हों। श्री परमार ने विश्वविद्यालय परिसर को विद्यार्थी केन्द्रित एवं आकर्षक बनाने को भी कहा। विद्यार्थियों की अंकसूची एवं डिग्री की उपलब्धता, डिजिलॉकर में सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में स्थापित होंगे 07 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर

इंदौर, भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग योजना के तहत जिले में 07 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। जिले में योजना के तहत 10 नेचुरल फॉर्मिंग क्लस्टर बनाये गये हैं। हर तीन क्लस्टर पर 02 बीआरसी की स्थापना की जाएगी। जिले में बीआरसी इन्दौर में 02, महू में 02,सांवेर में 01 एवं देपालपुर में 02 कुल 07 स्थापित किए जाएंगे। बीआरसी की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक स्थानीय कृषि उद्यमी, किसान उत्पाद संगठन, स्वयं सहायता समूह, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, विकासखण्ड क्रियान्वयन संस्थाएँ आवेदन कर सकती हैं। यह संस्थाएँ विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक (क्लस्टर) अथवा परियोजना संचालक आत्मा से संपर्क कर आवेदन प्रारुप एवं विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त कर 29 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक प्रस्ताव दे सकती हैं। बीआरसी प्राकृतिक खेती हेतु आवश्यक जैव आदान तैयार कर किसानों को आपूर्ति करेगा। जैव आदान तैयार करने हेतु आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता के लिए पौधों पर आधारित बायोमॉस, गोबर, गोमूत्र की आपूर्ति के लिए स्वयं अथवा निकटवर्ती गोशाला से अनुबंध उपरांत व्यवस्था कर सकते हैं।

अगर माउंट फूजी फटी तो मच जाएगी तबाही, नहीं चल सकेंगे ट्रेन, प्लेन

टोक्यो,जापान की टोक्यो सरकार ने हाल ही में एक एआई सिमुलेशन वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि अगर माउंट फूजी अचानक फट पड़ा, तो जापान की राजधानी और आसपास के इलाकों पर कैसी तबाही मचेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट फूजी से निकली राख को टोक्यो पहुंचने में केवल एक से दो घंटे का समय लगेगा। राजधानी महज 100 किलोमीटर दूर होने से इसका सीधा असर वहां पड़ेगा।

अनुमान के मुताबिक टोक्यो में राख की मोटाई 2 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राख से आसमान अंधेरे में बदल जाएगा और शहर की चहल-पहल थम जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह राख सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य पर ही असर नहीं डालेगी, बल्कि लंबे समय तक पर्यावरण और अगली पीढ़ियों पर भी इसके दुष्परिणाम पड़ सकते हैं। अगर ऐसा हादसा हुआ तो सबसे गंभीर असर परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रेन की पटरियों पर राख जम जाएगी, जिससे रेल सेवाएं ठप हो जाएंगी। एयरपोर्ट्स के रनवे इस्तेमाल के लायक नहीं बचेंगे और विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी।वहीं सड़कों पर गाड़ी चलाना कठिन हो जाएगा क्योंकि राख से विजिबिलिटी घटेगी और टायर फिसलने का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं, अगर राख गिरते समय बारिश हो गई, तो यह खतरा और विकराल रुप ले सकता है। गीली राख बिजली की तारों और टेलीकॉम नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो सकती है और संचार व्यवस्था भी पूरी तरह ठप हो जाएगी। सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि वे घरों में कम से कम तीन दिन का खाने-पीने का सामान और अन्य जरूरी चीजें जमा करके रखें। वजह यह है कि राख जमने के बाद ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा और दुकानों में सामान की भारी कमी हो सकती है।

टोक्यों सरकार ने यह भी साफ कहा कि इवैक्यूएशन यानी लोगों को सुरक्षित जगह भेजने का फैसला केवल तभी लिया जाएगा जब राख की मोटाई 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि इतनी भारी राख लकड़ी के मकानों को तक ढहा सकती है और बड़े पैमाने पर जनहानि का खतरा हो सकता है। वीडियो के अंत में सरकार ने नागरिकों को सतर्क करते हुए कहा है कि हमें यह नहीं पता कि माउंट फूजी कब फटेगा और टोक्यो राख से ढक जाएगा, लेकिन अगर लोग पहले से तैयार रहें और सावधानी बरतें तो इस संभावित आपदा से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा रख सकेंगे।

जहरीली हवा से कम हो रही दिल्लीवासियों की जिंदगी- रिपोर्ट

नई दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां का पीएम 2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानक से 20 गुना ज्यादा है। यह खुलासा किया है शिकागो विश्वविद्यालय की 'एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025' की रिपोर्ट ने।

रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दिल्ली का औसत पीएम 2.5 स्तर 111.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जबकि डब्ल्यूएचओ का सुरक्षित मानक केवल 5 माइक्रोग्राम है। इसका सीधा असर दिल्लीवासियों की जिंदगी पर पड़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो औसतन उनकी आयु 8.2 साल कम हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की जहरीली हवा कई कारणों से बनती है। इनमें सबसे बड़ा योगदान वाहनों के धुएं का है, जो करीब 30 से 40 फीसदी प्रदूषण फैलाते हैं। दिल्ली में 1.2 करोड़ से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा, आसपास के औद्योगिक क्षेत्र और कोयला आधारित पावर प्लांट भी बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाना अक्टूबर-नवंबर में प्रदूषण को और गंभीर बना देता है, जबकि धूल और निर्माण गतिविधियां भी 20 फीसदी तक योगदान करती हैं। सर्दियों में तापमान गिरने से हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे प्रदूषण और ज्यादा घना हो जाता है। पीएम 2.5 कण बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि ये फेफड़ों में गहराई तक जाकर सांस की गंभीर बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। दिल्ली में अस्थमा और ब्रॉन्काइटिस जैसे रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। लंग केयर फाउंडेशन के अनुसार, यहां करीब 30 फीसदी बच्चे सांस की समस्या से जूझ रहे हैं। 2023 में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 20 फीसदी हार्ट के स सीधे-सीधे प्रदूषण से जुड़े थे। इसके अलावा, प्रदूषण से भारत को हर साल अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक्यूएलआई रिपोर्ट बताती है कि पीएम 2.5 का हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का इजाफा इंसानी जिंदगी को औसतन 0.64 साल घटा देता है। इस आधार पर दिल्ली के मौजूदा हालात 8.2 साल की जीवन हानि का कारण बन रहे हैं। समाधान के तौर पर विशेषज्ञ वाहन नियंत्रण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, औद्योगिक उत्सर्जन कम करने, पराली जलाने पर रोक, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे कदमों की सिफारिश कर रहे हैं। यह रिपोर्ट दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है।

प्रदेश में रीवाइल्डिंग से संतुलित होगी वाइल्डलाइफ इकोलॉजी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल बनेगी अन्य राज्यों के लिये वन संरक्षण का मॉडल

इंदौर मध्यप्रदेश में स्वैम्प डियर (बारहसिंगा) सहित कई प्रजातियों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए पुनर्वास एवं पुनर्प्रवेश कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिये %रीवाइल्डिंग%की अभिनव पहल की गई है। रीवाइल्डिंग का उद्देश्य वाइल्डलाइफ इकोलॉजी को संतुलित कर लुप्त होती प्रजातियों को पुनर्जीवित करना, संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। प्रदेश में की गई यह पहल अन्य राज्यों के लिए वन संरक्षण का मॉडल बनेगी।

रीवाइल्डिंग का अर्थ है प्रकृति को उसकी मूल अवस्था में लौटाना। इसके लिये जंगलों में उन प्रजातियों को पुनः बसाया जाता है, जिनके बिना पारिस्थितिकी तंत्र अधूरा है। इसमें शिकारी प्रजातियों और शिकार प्रजातियों को शामिल किया जाता है। माना जाता है कि इन प्रजातियों के बिना जंगल का आहार-संतुलन बिगड़ता है और नेचुरल लाइफ साइकिल टूट जाती है। 'टाइगर स्टेट' कहलाने वाला मध्यप्रदेश जैव विविधता से समृद्ध है। इसके बावजूद कई प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं। प्रदेश के वनों में स्वैम्प डियर (बारहसिंगा) की संख्या लगातार घट रही है। साथ ही बाघ और तेंदुए का संतुलन भी प्रभावित हुआ है। विलुप्त होती प्रजातियों को समय रहते पुनर्स्थापित कर जंगलों के साथ प्राकृतिक संतुलन को बनाये रखा जा सकता है। वन विभाग ने रीवाइल्डिंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। स्वैम्प डियर और अन्य प्रजातियों को पुनः प्राकृतिक आवास में बसाया जाएगा। केवल किसी एक जानवर पर नहीं, बल्कि पूरे जंगल में घास-भूमि और नदी के परिदृश्य पर ध्यान देकर जानवरों को बसाया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण , वन अनुसंधान संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी रीवाइल्डिंग के इस मिशन में सहयोग कर रहे हैं। जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें वन्यजीव पर्यटन के साथ ही आजीविका के नए अवसर मिल सकें। वन्यजीव वैज्ञानिकों का कहना है कि रीवाइल्डिंग केवल जानवरों को बचाने का कार्यक्रम नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने का सशक्त उपाय भीहै, क्योंकि जंगल कार्बन भंडारण बढ़ाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करते हैं। इससे जंगलों के साथ ही जल एवं मृदा संरक्षणभी होता है, क्योंकि इकोलॉजी के संतुलन से प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित रहते हैं। रीवाइल्डिंग वन्य पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाको सशक्त बनाने का भी माध्यम है। इससे जंगल में बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक चक्र सक्रिय बना रहेगा। राज्य सरकार की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक वन संरक्षण की नीतियाँ एक प्रजाति तक सीमित रहती थीं, किंतु रीवाइल्डिंग का फोकस पूरी तरह वाइल्डलाइफ इकोलॉजी पर है। यह प्रक्रिया देश के अन्य राज्यों में भी इकोलॉजी संतुलन के लिए मॉडल बन सकती है। प्रदेश में रीवाइल्डिंग का प्रयास इस बात का संकेत है कि सरकार और समाज के प्रयास अब वन और वन्यजीव संरक्षण से आगे जा कर प्रकृति को उसकी मूल अवस्था में लौटाने की ओर अग्रसर हैं। इस पहल से मध्यप्रदेश वन्य जीवन संरक्षण में अग्रणी राज्य बनेगा।

हवाई अड्डों पर स्वच्छ शौचालय होंगे और सामान के लिए कतार से मिलगी मुक्ति!

नई दिल्ली देश तमाम हवाई अड्डो पर अब साफ सुथरे शौचालय होंगे और यात्रियों को अपने सामान के लिए कतार में भी नहीं लगना पड़ेगा। ये सब कुछ ऐसी दिक्कतें है, जो यात्रियों को परेशान करती रही हैं लेकिन एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब सभी एयरपोर्ट्स पर इस तरह की बदइंतजामी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सभी प्रमुख हवाई अड्डों के लिए एक समान प्रदर्शन मानक बनाने और इसे टैरिफ संरचनाओं से जोड़ने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, सुझाए गए मानकों से बेहतर प्रदर्शन करने पर हवाई अड्डों को इनाम भी दिए जाएँगे और मानकों का पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि मानकों का अनुपालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसका तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट कराया जाएगा।

प्रस्तावित मानकों में सभी हवाई अड्डों पर स्वच्छता, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और इमिग्रेशन ई-गेट जैसी तकनीकों के उपयोग का भी आकलन किया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा, ये मानक यात्रियों के हितों की रक्षा करने, जवाबदेही बढ़ाने और हवाई अड्डे के संचालन में निरंतर सुधार को बढ़ावा देने में सहायक होंगे। बुनियादी ढाँचे और परिचालन संबंधी जटिलता में अंतर का हवाला देते हुए अथॉरिटी ने 60 लाख से अधिक यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों को अलग-अलग कैटगराइज्ड करने की भी योजना बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अथॉरिटी की प्रस्तावित योजना में हरेक टचपॉइंट पर यात्रियों के लिए अधिकतम प्रतीक्षा समय को भी शामिल किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हवाई अड्डा सेवाओं की विशेषता एकाधिकार या सीमित प्रतिस्पर्धा किस्म की है, जहाँ यात्रियों के पास विकल्प सीमित होते हैं। ऐसे माहौल में, नियामक की भूमिका टैरिफ निर्धारण से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने तक पहुँच जाती है कि यात्रियों को दी जाने वाली सेवाएँ कुशलतापूर्वक, पारदर्शी रूप से और ऐसे मानक पर उपलब्ध हों जो परिचालन और उपयोगकर्ता दोनों की अपेक्षाओं को पूरा करे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर(म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008